रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042021-226505 CG-DL-E-10042021-226505

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1431] No. 1431] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

का.आ. 1542(अ)—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 38क के उपखंड (i) के अनुसरण में, केंद्रीय जैव उत्तेजक समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् : –

1. कृषि आयुक्त, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि - पदेन, सदस्य
 उप महानिदेशक, राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि - पदेन, सदस्य
 उप महानिदेशक (फसल), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका प्राधिकृत
प्रतिनिधि - पदेन, सदस्य

- पदेन, अध्यक्ष

5. संयुक्त सचिव (एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – पदेन, सदस्य

6. निदेशक, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद – पदेन, सदस्य

2150 GI/2021 (1)

- 7. भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान केंद्र, लखनऊ का प्राधिकृत प्रतिनिधि
- पदेन, सदस्य

8. उप सचिव (एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय

- -पदेन सदस्य सचिव।
- 2. केंद्रीय जैव उत्तेजक समिति की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष होगी।
- 3. समिति के सदस्य, ऐसी समिति की बैठकों में भाग लेते समय विनिर्दिष्ट दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, अर्थात् --
 - (i) सिमिति का कोई पदेन सदस्य, उस सेवा, जिससे उसका संबंध है, को लागू दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा:
 - (ii) सिमिति का कोई गैर-शासकीय सदस्य, इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा।
 - 4. केंद्रीय जैव उत्तेजक समिति को इस आदेश के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारीवृंद सदस्य उपलब्ध कराए जाएंगे, जो आवश्यक हों।

[फा.सं. 3-14/2017 उर्वरक विधि] नीरजा अदिदम, संयक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 9th April, 2021

- **S.O. 1542(E).-** In pursuance of sub-clause (i) of clause 38 A of the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed)(Control) Order, 1985, the Central Government hereby constitutes the Central Biostimulant Committee consisting of the following members, namely:-

 - 5. Joint Secretary (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

– Member, *ex officio*;

6. Director, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute; Faridabad

- Member, ex officio;

7. Authorised representative of the Indian Toxicology Research Centre, Lucknow

- Member; ex officio;

8. Deputy Secretary (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

- Member Secretary, ex officio;

- 2. The term of office of the Central Biostimulant Committee shall be five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 3. The members of the Central Biostimulant Committee shall be entitled to draw travelling and daily allowances at the rates specified below while attending the meetings of such committee, namely.-
 - (i) an *ex officio* member of the Committee shall be entitled to draw travelling and daily allowances at the rates applicable to the service to which he belongs;
 - (ii) a non- official member shall be entitled to draw travelling and daily allowances in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 4. The Central Biostimulant Committee shall be provided with such members of staff, as may be necessary, by the Central Government for carrying out its functions under this order.

[F.No. 3-14/2017 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.